

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

अदालत ACEM मुकाम बहरोड, (अहमदनगर)
 रेशा रामजीबाब बनाम
 मुकदमा नं० 212 सन् 16-11-2011

क्र. नं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p><u>16-11-11</u></p> <p>वकील वादी ने मूल वाद के साथ प्रा.पत्र 212 सादर कर दिया है। हजेर जि. हा।</p> <p>वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी, रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्राइमफेसर्स डेव साकि है। अतः अप्रार्थी सं. 1 अग्रा. 9 को आगामी तारीख फ्री 30-11-11 तक जयि अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वो पिकाहित आराजी हाल छ. नं. 1430, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437 वाले ग्राम माढण तहसील बहरोड पर आराजी के बिना हिस्से विमेष को प्राथीण के हिस्से तक केपान नही करे। जो भी उजु को नियत दिनांक 30-11-11 को उपस्थित होकर करे। स्पे ना घट आबां ताफेलना चाह स्टड/पर कर की जावे। तलबी अप्राथीणता जर्मे मोहित जारी है।</p> <p>पभावनी दिनांक 30-11-11 को फेर है।</p>	<p>सहायक कलेक्टर बहरोड (अहमदनगर)</p>
<p><u>30-11-2011</u></p>	<p>वकील प्रार्थी अ. तलबी को जाकर दिनांक 30-11-11 को फेर है। तब तक पूर्ण में जारी त. की अबाधि बहाई जाती है।</p>	<p>सहायक कलेक्टर बहरोड (अहमदनगर)</p>

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए।

10
30/9/27 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सब नीमरना जल व
स्वामन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व
भादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/11/27
को पेश हो।

रीडर

25-11-27 मास पत्रावली पेश
हुई। पत्रावली में मुख्य वर
01 R544 के तहत कामों
के लुका हैं। जल व
को मासकी मरकही डी
का पर इन्फ में 01 R544
के लुका किताबगत हैं।
पत्रावली किताब मुकाद देस
02 मय 01 मय के लुका
मुख्य वर वैं 01

उपखण्ड अधिकारी
नीमरना (बोरपूतली-इरोड)